वित्तीय स्वीकृति

संख्य - 44/1812/52-3-14-बजट(15)/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -3, □□□□: दिनांक 28 अगस्त, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय के दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयो□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश 0-750/52-3-14-□□□(15)/14 दिनांक 20.5.2014 के अनुक्रम में तथा वित्त (□□-व्ययक) □□0-1 □□ कार्यालय ज्ञाप 0-□□-1-2457/□□-2014- 231/2014, दिनांक 22.7.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्त -2(13) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन /छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति के वितरण हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधान धनराशि रू0 85,00,00,000/- के सापेक्ष लेखानुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 25,00,00,000/-(रू0 पच्चीस करोड़ म) □□ □□□□□□ □□ उपरान्त 0 60,00,00,000/-(रू0 साठ करोड़ मा) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्व त धनराशि के सापेक्ष /छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान स्वरूप दंेय धनराशि कोषागार माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण त उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2015 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जिन विद्यालय /मदरसों के विरूद्ध शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमंे शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन विद्यालयों/मदरसों के छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं का सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं □□□ □□ जिन मामलों में 0प्र0 बजट मैनुअल और वित्त नियमसंग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने संे पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त क□ □□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

5- शुल्कप्रतिपूर्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय-स□□ □□ निर्गत शासनादेशों एवं नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सः 2014-15 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्य /छात्राओं की शुल्कप्रतिपूर्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व 2014-15 □□ □□ व्ययक के अनुदान संख्य -48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2225-□□□□□ जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-□□□□□□-80-सामान्य-800-अन्य व्यः -03-अल्पसंख्यकों का कल्य - 0305-अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं □□ □□□□□ □□□/जनजाति के विद्यार्थियों के समान विश्वविद्याल / संस्थाओं में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति -21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेत के नामें डाला जायेगा।

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्य -□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

<u>संख्य□-1812(1)/52-3-14-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -1

आज्ञा सं,

(vkj0 ,u0 f}onh)
□□ □□□□

http://shasanadesh.upnic.in